रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236054
CG-DL-E-27052022-236054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2299] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 2299] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2425(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 274 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहचान विहीन शास्ति स्कीम, 2021 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन स्कीम का नाम पहचान विहीन शास्ति (संशोधन) स्कीम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. पहचान विहीन शास्ति स्कीम, 2021 में, -

(i) पैरा 4 में, -

(अ) उप-पैरा (1) में, -

(I) खंड (i) "और इसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की अधिकारिता निहित है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(II) खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

(III) खंड (iii) में "जो शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो" शब्दों के स्थान पर "जो शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और "शास्ति इकाई" पद जहां कहीं इस स्कीम में प्रयुक्त हुआ है, किसी निर्धारण अधिकारी जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हों, के प्रति निर्देश होगा " शब्द रखे जाएंगे ।

(IV) खंड (iv) में, "और ऐसे अन्य कृत्य जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, और उससे संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगा" शब्दों के स्थान पर "और ऐसे अन्य कृत्य जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों और "शास्ति पुनर्विलोकन इकाई" पद जहां कहीं इस स्कीम में प्रयुक्त हुआ है , किसी निर्धारण अधिकारी जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हों, के प्रति निर्देश होगा " शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) उप-पैरा (4) में, "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्रों", "क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र" और "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पैरा 5 में, उप-पैरा (1) में, -

(अ) खंड (ii) में, "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्रों में से किसी एक में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (xv) से खंड (xxii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(xv) शास्ति इकाई, अभिलेख पर रखी गई सामग्री, जिसके अंतर्गत खंड (viii), खंड (x) और खंड (xii) में यथा निर्दिष्ट प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो या खंड (xiv) में रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित के प्रयोजन हेतु, -

(क) शास्ति अधिरोपित करने और ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए;

(ख) शास्ति अधिरोपित न करने के लिए, कारणों को

लेखबद्ध करते हुए, यथास्थिति, ऐसे शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव या कारणों को, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा;

(xvi) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, -

(क) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया गया है, खंड (xv) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव के अनुसार शास्ति आदेश पारित करने के लिए शास्ति इकाई को संसूचित कर सकेगा; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित न करने का प्रस्ताव किया गया है, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना देते हुए शास्ति कार्यवाहियां छोड़ने हेतु शास्ति इकाई को संसूचित कर सकेगा; या

(ग) यथास्थिति, ऐसे प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से शास्ति पुनर्विलोकन इकाई को सौंप सकेगा;

(xvii) शास्ति इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करेगा और उसे निर्धारिती पर राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से तामील करेगी ;

(xviii) शास्ति इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, शास्ति कार्यवाहियां छोड़ेगी और निर्धारिती को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से संसूचना भेजेगी ;

(xix) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपण के प्रस्ताव या शास्ति अधिरोपण न करने के कारणों का पुनर्विलोकन करेगी और जहां यह यथास्थिति, ऐसे प्रस्ताव या कारणों पर सहमत हो सकेगी या उसके उपांतरण का सुझाव दे सकेगी, के लिए पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी तथा ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगी।

(xx) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, खंड (xix) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे उस शास्ति इकाई को अग्रेषित करेगा जिसने यथास्थिति, शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था या शास्ति अधिरोपण न करने के लिए कारण प्रस्तावित किए थे ।

(xxi) शास्ति इकाई, ऐसी पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उसमें प्रस्तावित सभी या कुछ उपांतरणों को स्वीकार करेगी या नामंजूर करेगी और ऐसे उपांतरणों को नामंजूर करने के मामले में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, यथास्थिति, शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति कार्यवाहियों को छोड़ने का आदेश पारित करेगी और शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति कार्यवाहियों को छोड़ने करने का आदेश राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर तामील करेगी ।

(xxii) जहां, यथास्थिति, शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति छोड़ने हेतु संसूचना के लिए आदेश पारित किया गया है वहां शास्ति इकाई ऐसे आदेश की एक प्रति या शास्ति छोड़ने हेतु संसूचना की एक प्रति आय-कर प्राधिकारी को, खंड (i) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से अधिनियम के अधीन अपेक्षित अग्रिम कार्रवाई के लिए ऐसे आदेश की एक प्रति भेजेगी;

(iii) पैरा 6 का लोप किया जाएगा ।

(iv) पैरा 8 में,

(अ) "(i) स्कीम के प्रयोजनों के लिए" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "स्कीम के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन– इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन,-

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा;

(ii) यथास्थिति, शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई या तकनीकी इकाई या सत्यापन इकाई द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जाएगा ;

(iii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति अपने डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या पदाभिहित पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग करके करेगा।

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 12 में उसे निर्दिष्ट किया गया है"

(vi) पैरा 11 में, -

(अ) उप-पैरा (1) में, या "प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(आ) उप-पैरा (3) और) उप-पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, सुसंगत इकाई का आय-कर अधिकारी ऐसी सुनवाई राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से अनुज्ञात करेगा ।

(4) उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट सुनवाई अनन्य रुप से वीडियो कान्फ्रैसिंग या टेलीफोनी वीडियो के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसके अंतर्गत कोई टेली कम्युनीकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यथाशक्य प्रौद्योगिकीय विस्तार तक, वीडियो कान्फ्रैसिंग या टेलीफोनी वीडियो द्वारा समर्थ हो "

(vii) पैरा 12 में, -

(अ) "प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 54/2022/फा.सं. 370142/51/2020-टीपीएल-(भाग III)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.117(अ) तारीख, 12 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।